न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37 / 2025 दायर दिनांकः 24.04.2025

उनवान

1. सुनिता बाई आयु 38 वर्ष पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी कटावर तहसील अटरू हाल निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9928271945

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.10.2025

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल भोजूखेड़ी पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 23 का ख.नं. 94 का रकबा 1.27 हे० आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ सुविता नाबालिग पुत्री रामनाथ संरक्षक सरपरस्त वली माता कस्तूरी बाई हिस्सा 1/10 दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल साथ में संलग्न है। प्रार्थिया के पिता रामनाथ की मृत्यु के बाद फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम भोजूखेड़ी की आराजी खाता संख्या 23 में प्रार्थिया का नाम सुनिता बाई के स्थान पर सुविता गलत दर्ज कर दिया। वक्त फोती इन्तकाल खोलते समय प्रार्थिया नाबालिग थी परन्तु अब बालिग हो चुकी है तथा ग्राम कवाई में शादी हो चुकी है। प्रार्थिया के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत कटावर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थिया का सही नाम सुनिता बाई दर्ज है।

इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम सुनिता बाई दर्ज किया जावे तथा नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। दस्तावेजो की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम भोजूखेड़ी की खाता संख्या 23 में प्रार्थिया का नाम सुविता के स्थान पर सुनिता बाई तथा नाबालिग से बालिग दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम सुनिता बाई व बालिग दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सुविता के स्थान पर सही नाम सुनिता बाई तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम भोजूखेड़ी की आराजी खाता संख्या 23 में प्रार्थिया का नाम सुविता के स्थान पर सही नाम सुनिता बाई तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/3138 दिनांक 29.09.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत सुनिता बाई पुत्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी कटावर हाल निवासी कवाई तहसील अटरू व धर्मराज पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी कटावर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके बयान लेखबद्व किए गए। अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भोजूखेडी पटवार हल्का कटावर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 23, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, प्रशासक ग्राम पंचायत कटावर प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2025, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवाई, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भोजूखेडी पटवार हल्का कटावर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 87, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 खाता संख्या 23 ग्राम भोजूखेडी में सहखातेदार प्रार्थीया के सगे भाई धर्मराज पुत्र रामनाथ ने भी सुविता पुत्री रामनाथ का सही नाम सुनिता होना स्वीकार किया है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 के अनुसार भी ग्राम भोजूखेडी के ही खाता संख्या 8 में सुनिता पुत्री रामनाथ दर्ज रिकार्ड है। प्रशासक ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2025 के अनुसार सुनिता व सुविता एक ही महिला के नाम है तथा प्रार्थिया द्वारा पेश दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर प्रार्थिया बालिग है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल भोजूखेडी पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 23 के खसरा नं. 94 का रकबा 1.27 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.27 है0 आराजी में सह खातेदार नाबालिग सुवितानाबा पुत्री रामनाथ के स्थान पर सुनिता पुत्री रामनाथ व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्राथीर्या का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल भोजूखेडी पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 23 के खसरा नं. 94 का रकबा 1.27 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.27 है0 आराजी में सह खातेदार नाबालिग सुवितानाबा पुत्री रामनाथ के स्थान पर सुनिता पुत्री रामनाथ व नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां